



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 9, 2012/वैशाख 19, 1934

No. 874]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 9, 2012/VAISAKHA 19, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कायदा अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 2012

का.आ. 1038(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में :—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“113 मेसर्स गंगा पल्प एवं पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया चंदौली, उत्तर प्रदेश राज्य”।

[फा. सं. 4(1)/2012-पेपर]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 23 मार्च, 2011 के आदेश सं. का.आ. 636(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy & Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 4th May, 2012

S.O. 1038(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after Sl. No. 112 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“113. M/s. Ganga Pulp & Papers Pvt. Limited, A-6, Ramnagar Industrial Area, Chandauli in the State of Uttar Pradesh”.

[F. No. 4(1)/2012-Paper]

TALLEEN KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105(E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 636(E), dated 23rd March, 2011 published in the Gazette of India.